दिनांक 06.06.2021
प्रेस विज्ञप्ति 06/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना जवाँ

- **01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **540 खाली पव्वे, 01 हजार 21 ढक्कन, 240 रैपर, 500 बार कोड**
- **01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना जवाँ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पिलौना बार्डर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऋषि को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 540 खाली पव्वे, 01 हजार 21 ढक्कन, 240 रैपर, 500 बार कोड, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, धोखाधडी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद अलीगढ़ के थाना जवाँ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 188/2021 धारा 272/273/304/34 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम, थाना अकबराबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 220/2021 धारा 272/273/420/467/468/471 भादवि व 60(क)/72 आबकारी अधिनियम, थाना मडराक पर पंजीकृत मु0अ0सं0 146/2021 धारा 272/273/420/467/468/471/201 भादवि व 60(क)/72 आबकारी अधिनियम व थाना गभाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 143/2021 धारा 272/273/304 भादवि व 60(क) आबकारी अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जवाँ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—ऋषि निवासी कस्बा व थाना जवाँ जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—540 खाली पव्वे, 01 हजार 21 ढक्कन, 240 रैपर, 500 बार कोड।

2—01 चार पहिया वाहन।

जनपद मेरठ/थाना कंकरखेडा

- **पुलिस कार्यवाही में 25—25 हजार रूपये व 20 हजार रूपये के 03 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **25 हजार लीटर अवैध एसडीएस कैमिकल**
- **120 लीटर अवैध ईएनए**
- **140 लीटर अवैध शराब**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 05 खोखा कारतूस**
- **01 ट्रक, 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना कंकरखेडा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बफावत रोड के पास से चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1—अजय उर्फ जगन 2—विजय उर्फ कंपोस 3—बबलू उर्फ दिनेश घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 25 हजार लीटर अवैध एसडीएस कैमिकल, 120 लीटर अवैध ईएनए, 140 लीटर अवैध शराब, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 05 खोखा कारतूस, 01 ट्रक, 01 चार पहिया वाहन बरामद हुई। घायलो को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजय उर्फ जगन के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त विजय उर्फ कम्पोस के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थाना में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त बब्लू उर्फ दिनेश के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मेरठ से वांछित चल रहे थे, जिसमें अभियुक्त अजय उर्फ जगन व विजय उर्फ कंपोस की गिरफ्तारी हेतु 25—25 हजार रूपये एवं अभियुक्त बबलू उर्फ दिनेश की गिरफ्तारी हेतु 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कंकरखेडा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अजय उर्फ जगन निवासी चिरोड़ी थाना दौराला जनपद मेरठ।

2—विजय उर्फ कंपोस निवासी चिरोड़ी थाना दौराला जनपद मेरठ।

3—बबलू उर्फ दिनेश निवासी इंदिरा पुरी थाना दौराला जनपद मेरठ।

<u>बरामदगी</u>

1—25 हजार लीटर अवैध एसडीएस कैमिकल।

2—120 लीटर अवैध ईएनए।

3—140 लीटर अवैध शराब।

4—03 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 05 खोखा कारतूस।

5—01 ट्रक।

6—01 चार पहिया वाहन।

जनपद सम्भल/थाना असमोली

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये कीमत की लूट के 670 पीपा सरसों का तेल**
- **लूट का आयशर कैन्टर वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना असमोली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मढ़न मंसूरपुर रोड के पास चेकिंग के दौरान बोलेरो सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसमें आरक्षी सागर रघुवंशी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कादिर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। अन्य बदमाश मौके से फरार हो गये, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये कीमत की लूट के 670 पीपा सरसों का तेल, लूट का 01 आयशर कैन्टर वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.06.2021 की रात्रि जनपद मुरादाबाद से अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना पाकबाड़ा जनपद मुरादाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद आयशर कैन्टर वाहन व सरसो का तेल उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना असमोली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कादिर निवासी बहरामपुर बादली थाना बाबूगढ़ छावनी जनपद हापुड।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 25 लाख रूपये कीमत की लूट के 670 पीपा सरसों का तेल।

2—लूट का आयशर कैन्टर वाहन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 05 जीवित 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद अमेठी/थाना जगदीशपुर</u>

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 पिकप वाहन, 10 आलमारी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना जगदीशपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1—महेश 2—भगवान चन्द्र को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 पिकप वाहन, 10 आलमारी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त महेश के विरूद्ध जनपद अमेठी व सुलतानपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। दिनांक 01.06.2021 को थाना जगदीशपुर क्षेत्र से अज्ञात बदमाशों द्वारा पिकप वाहन व आलमारी लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पर मु0अ0सं0 214/2021 धारा 392/504/506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जे रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद पिकप व आलमारी उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–महेश निवासी पिण्डारा थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

2–भगवान चन्द्र निवासी पतेरवा थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट की 01 पिकप वाहन।

2–लूट की 10 आलमारी।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित 02 खोखा कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना नानौता</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 पिकप वाहन**
- **चोरी की 48 बैट्री, 02 एनर्जी लैडर, केवल, 15 मोटर, 02 फैन आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित 05 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.06.2021 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जडौदा पाण्डा के पास चेकिंग के दौरान पिकप सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। बदमाशो द्वारा की गयी फायरिंग में हे0का0 संजीव कुमार व आरक्षी सोनू कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में बदमाश 1–राशिद 2–अलीशान 3–जावेद उर्फ सादिक घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 4–सुमित 5–जीशान 6–नौशाद सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी

की 01 पिकप वाहन, चोरी की 48 बैट्री, 02 एनर्जी लैडर, केवल, 15 मोटर, 02 फैन, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित 05 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायलो को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त राशिद के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधडी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 29 अभियोग, अभियुक्त जावेद उर्फ सादिक के विरूद्ध जनपद सहारनपुर, शामली व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 17 अभियोग, अभियुक्त जीशान के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 29 अभियोग एवं अभियुक्त अलीशान के विरूद्ध जनपद सहारनपुर व हरियाणा प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राशिद निवासी अकबरपुर सुन्हैटी थाना कैराना जनपद शामली।

2–अलीशान निवासी गोगवान थाना कैराना जनपद शामली।

3–जावेद उर्फ सादिक निवासी अकबरपुर सुन्हैटी थाना कैराना जनपद शामली।

4–सुमित निवासी अकबरपुर सुन्हैटी थाना कैराना जनपद शामली।

5–जीशान निवासी हमजागढ़ थाना गंगौल जनपद सहारनपुर।

6–नौशाद निवासी हमजागढ़ थाना गंगौल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 01 पिकप वाहन।

2–चोरी की 48 बैट्री, 02 एनर्जी लैडर, केवल, 15 मोटर, 02 फैन आदि।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 10 जीवित 05 खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 2304 मोबाइल के डिसप्ले विक्री के 39 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भनौता कट के पास से अभियुक्त सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 2304 मोबाइल के डिसप्ले विक्री के 39 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.04.2021 को कंटेनर डिपो के वेयर हाउस से सैमसंग की 2304 मोबाइल फोन डिसप्ले चोरी की घटना हुई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 299/2021 धारा 381/420/467/468/471/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुधीर कुमार निवासी तेलियाना पट्टी थाना कोतवाली मोतीहरी बिहार, हालपता फ्लैट नं0–1516 टावर बी, 5 एवेन्यू गौर सिटी–1 ।

बरामदगी

1–39 लाख रूपये नगद (मोबाइल डिसप्ल विक्री के)।

जनपद बलिया/थाना नगरा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 05.06.2021 को थाना नगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कोलम्बस स्कूल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त बिट्टू उर्फ सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2017 धारा 41/411/413 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—बिट्टू उर्फ सुजीत कुमार निवासी हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हालपता कस्बा रसड़ा थाना रसड़ा जनपद बलिया।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद बलिया/थाना नगरा

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 05.06.2021 को थाना नगरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नरही नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नगरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 237/2017 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नगरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—संतोष कुमार निवासी रूद्रवार थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद मथुरा/थाना हाई—वे</u>

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 05.06.2021 को थाना हाई—वे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोवर्धन चौराहे के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाई—वे पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2021 धारा 379/411 भादवि व मु0अ0सं0 102/2021 धारा 395/412 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हाई—वे पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अनीश निवासी विस्मभरा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।

जनपद गोरखपुर/थाना चौरी चौरा

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 05.06.2021 को थाना चौरी चौरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तरकुलहा मोड़ के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चौरी चौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2021 धारा 307/411 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चौरी चौरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय निवासी करजहां थाना खोराबार जनपद गोरखपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना हाई—वे

- **03 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को हाई—वे पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पालीखेडां चौराहे के पास से 03 शातिर अभियुक्तों 1—सतीश 2—अजय 3—गिरीश कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त सतीश के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग एवं अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद मथुरा के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद मथुरा व आस–पास के क्षेत्रो से मोटर साइकिले चोरी कर ग्रहक मिलने पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना हाई–वे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सतीश निवासी बरारी थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा।

2–अजय निवासी धर्मलोक कालोनी महोली रोड थाना कोतवाली जनपद मथुरा।

3–गिरीश कुमार निवासी चुरारी थाना उच्चेन जनपद भरतपुर राजस्थान।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 10 मोटर साइकिल।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना देवबन्द</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 06.06.2021 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम कुलसठ के पास से 02 अभियुक्तों 1–विशाल 2–उस्मान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर अभियोग पंजीकत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विशाल निवासी कुलसठ थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

2—उस्मान निवासी कुलसठ थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 08 मोटर साइकिल।

एस0टी0एफ0—थाना महराजगंज, जनपद जौनपुर क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर दिनांक 14—05—2021 को हुई डकैती में वांछित रू0 25,000/—के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 05—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद जौनपुर के थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर हुई डकैती में वांछित रू0 25,000/—के पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू को थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू पुत्र सुरेश चन्द्र जायसवाल नि0 तुरकोली, थाना—आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़।

बरामदगीः

1—01 अदद तमंचा नाजायज 315 बोर।

2—01 अदद मिस कारतूस 315 बोर

3—1200 रूपये।

4—01 अदद सैमसंग मोबाइल।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

हयात होटल के पीछे निर्माणाधीन एल्डिको कार्पोरेट टावर, थाना क्षेत्र विभूतिखण्ड, लखनऊ दिनांक 05—06—2021 समय 11.20 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री अमित कुमार नागर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान निरीक्षक दिलीप तिवारी को ज्ञात हुआ कि दिनांक 14—05—2021 को जनपद जौनपुर के थाना महराजगंज क्षेत्रान्तर्गत पेट्रोल पम्प पर हुई डकैती के सम्बन्ध में थाना महराजगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/2021 धारा 395, 412 भादवि में वांछित अभियुक्त विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया है, जो अपने साथी चंदन जायसवाल, बलजीत यादव, श्याम सिंह यादव आदि को लखनऊ के गोमतीनगर में इकठ्ठा कर किसी डकैती की घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। जिस सूचना पर उ0नि0 मनोज पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह, मु0आ0 राजेश मौर्या, रूद्र नारायण उपाध्याय, संतोष सिंह, अंजनी यादव आदि की एक टीम गोमतीगर क्षेत्र में तलाश करने लगी। इसी दौरान जानकारी हुई कि विश्वजीत उर्फ जीतू अपने दूसरे साथी रू0 25 हजार के इनामी चन्दन जायसवाल के साथ हयात होटल के पीछे निर्माणाधीन एल्डिको कार्पोरेट टावर के पास आने वाला है, इस सूचना पर विश्वास करके एसटीएफ टीम होटल हयात पहुॅची तो वहॉ कुछ देर बाद 02 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये मुखबिर के इशारे पर उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो वह दोनों व्यक्ति भागने लगे, जिस पर आवश्यक बल प्रयोग कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई, तथा दूसरा व्यक्ति भागने में सफल रहा, जिसके बारे में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति उसके गैंग का सदस्य चन्दन जायसवाल है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने वर्ष—2018 में सबसे पहले थाना क्षेत्रान्तर्गत चॉदा जनपद सुलतानपुर में मोटर साइकिल की लूट की थी। इसके बाद हौसला बढ़ने पर मैंने 06—07 लोगों का एक गैंग बनाया तथा कुछ बड़ी घटना करने की योजना बनायी, फिर हम सभी ने मिलकर वर्ष—2018 में ही कई बार कोईरीपुर स्टेशन से चॉदा तक तथा दूसरी तरफ कोइरीपुर से बदलापुर तक चलती ट्रेनों में शाम के समय तमन्चों व चाकूओ के बल पर ट्रेनों में लगतार डकैतियॉ डाली एवं विरोध करने वालों को घायल कर देते थे। इस घटना के बाद लगभग 11 महीने सुलतानपुर जेल में बन्द रहा। जेल से छूटने पर मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद सुलतानपुर के थाना क्षेत्र चॉदा व कादीपुर में कई बार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पुनः जेल भेज दिया गया, जहॉ से लगभग 17 माह बाद छूटकर वापस आया। जेल में रहने के दौरान पेशी के समय एक आरक्षी द्वारा मेरे साथ अत्यधिक सख्ती की गयी, जिससे छुब्ध होकर जेल से छूटने के बाद मैने तीन बार उस आरक्षी को जान से मारने का प्रयास किया परन्तु सफल नहीं हो सका। इसके बाद अपने गैग के लोगों के साथ महराजगंज कस्बा स्थित एक ग्राहक सेवा केन्द्र पर डकैती डालने की योजना बनायी, इसके लिए हम लोगों के द्वारा बदलापुर के पास से दो मोटरसाइकिल लूटी गयी तथा दिनांक 14—05—2021 को ग्राहक सेवा केन्द्र बन्द मिलने के कारण हमारे द्वारा पेट्रोल पम्प पर लगी भीड़ को देखकर अधिक पैसा मिलने की उम्मीद के चलते वहॉ तत्काल डकैती डालने की योजना बनाई तथा पेट्रोल पम्प पर अपने साथियों के साथ जाकर कई फायर किये, जिससे वहॉ अफरा—तफरी मच गयी, फिर हम लोग पेट्रोल पम्प कर्मियों से बैग लूटकर वहॉ से फरार हो गये। फरारी के दौरान पैसे खत्म हो गये, फिर मैं अपने साथियों से सम्पर्क कर लखनऊ में डकैती डालने की योजना बना रहा था, जिसके लिए मेरे द्वारा रेकी की जा रही थी।

अभियुक्त विश्वजीत जायसवाल उर्फ जीतू का ज्ञात आपराधिक इतिहास।

क.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	89/18	392, 504, 411 भादवि	चॉदा	सुलतानपुर
2	07/18	392, 411 भादवि	जीआरपी	सुलतानपुर
3	15/18	395, 412 भादवि	जीआरपी	सुलतानपुर
4	26/18	2/3 गैगेस्टर एक्ट	जीआरपी	सुलतानपुर
5	185/19	392, 411 भादवि	मोतीनगर	सुलतानपुर
6	202/19	392, 411 भादवि	मोतीनगर	सुलतानपुर
7	471/19	379, 411, 34 भादवि	चॉदा	सुलतानपुर
8	490/19	41411, 419, 420, 467, 468 भादवि	चॉदा	सुलतानपुर

9	491/19	3/25 आर्म्स एक्ट	चॉदा	सुलतानपुर
10	537/19	2/3 गै0 एक्ट	चॉदा	सुलतानपुर
11	294/19	392, 411	कादीपुर	सुलतानपुर
12	68/21	395, 412 भादवि	महराजगंज	जौनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विभूतिखण्ड, जनपद लखनऊ पर मु0अ0सं0 270/21 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया है, अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है, साथ ही भागे हुए अभियुक्त चन्दन जायसवाल के गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

एस0टी0एफ0—जनपद गोरखपुर से रू0 25,000/— के पुरस्कार घोषित अपराधी सैय्यद फैजान को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 06—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद गोरखपुर से वांछित रू0 25,000/—के पुरस्कार घोषित अपराधी सैय्यद फैजान को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

सैय्यद फैजान पुत्र सैय्यद फिरोज आलम नि0 70—ए घासीकटरा, थाना तिवारीपुर गोरखपुर। मूल निवासी 164/1 खूनीपुर, थाना कोतवाली, गोरखपुर।

बरामदगीः

1—500/— रूपये।

2—01 अदद सैमसंग मोबाइल।

3—01 अदद आधार कार्ड।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

हनुमान मन्दिर तिराहा के पास थाना क्षेत्र रामगढ़ ताल, जनपद गोरखपुर। दिनांक 06.06.2021 समय 11.30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री सत्यसेन यादव, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना रामगढ़ ताल, जनपद गोखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 44/2021 धारा 420, 406, 504 भादवि व मु0अ0सं0 49/2021 धारा 420, 406 भादवि में वांछित अभियुक्त सैय्यद फैजान के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित है, के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही हेतु निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में मु0आ0 प्रभात व मु0आ0 अरविन्द कुमार की एक टीम गठित कर जनपद गोरखपुर रवाना की गयी। गोरखपुर पहुॅचने पर जमीनी स्तर अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही थी कि बस स्टेशन के पास जरिये मुखबिर खास ज्ञात हुआ कि सैय्यद फैजान हनुमान मन्दिर तिराहे के पास किसी से मिलने के लिए आने वाला है, इस सूचना पर स्थनीय पुलिस व मुकदमा उपरोक्त के विवेचक उ0नि0 राजेश सिंह को साथ लेकर बताये हुए स्थान से वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं वह मेरा भाई सैय्यद सादान गोरखपुर में अपने पिता के नाम किंग इन्टरप्राइजेज कम्पनी बनाकर सामान खरीदने बेचने का काम करना शुरू किया, जिसमें काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया बदले में सामान नहीं दे पाया, काफी लोगों द्वारा इसकी शिकायत पुलिस से की जाने लगी तब इस कम्पनी को बन्द कर दिया। इसके बाद गोल्ड कन्सट्रक्शन के नाम से दूसरी कम्पनी खोल लिया। इस कम्पनी में भी काफी लोगों का पैसा इन्वेस्ट करावाया। जब लोगों द्वारा पैसा मांगा जाने लगा तो यह कम्पनी भी बन्द कर दिया। जिन लोगों द्वारा हमारी

कम्पनियों में पैसा इन्वेस्ट किया गया था, उन लोगों ने मेरे, मेरे भाई व पिता के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया। मुकदमा लिखे जाने के बाद से ही मैं फरार चल रहा था।

अभियुक्त सैय्यद फैजान का ज्ञात आपराधिक इतिहास

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	32 / 21	419, 420, 406, 120बी भादवि	रामगढताल	गोरखपुर
2	44 / 21	420, 406, 504 भादवि	रामगढताल	गोरखपुर
3	45 / 21	420, 406, 504 भादवि	रामगढताल	गोरखपुर
4	49 / 21	420, 406, 504 भादवि	रामगढताल	गोरखपुर

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना रामगढ़ताल, गोरखुर में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एस0टी0एफ0— वर्ष—2019 से वांछित एवं रू0 15 हजार का पुरस्कार घोषित इन्द्रजीत उर्फ राजू यादव को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 05—06—2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वर्ष—2019 से फरार/वांछित रू0 15 हजार के पुरस्कार घोषित अपराधी इन्द्रजीत उर्फ राजू यादव को अयोध्या से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

इन्द्रजीत यादव उर्फ राजू यादव पुत्र रामप्यारे, नि0 रेवती जगदीशपुर, थाना गोसाईगंज, अयोध्या।

कुल बरामदगीः

1— 01 अदद सैमसंग मोबाइल।
2— रू0 200/—

गिरफ्तारी का स्थान व समय

महबूबगंज चौराहे के पास थाना क्षेत्र गोसाईगंज, जनपद अयोध्या दिनांक 05.06.2021 समय 13.20 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से कुख्यात फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में डा0 राकेश कुमार मिश्र, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एक टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना पसगवॉ, जनपद खीरी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2019 धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 472 एवं 34 भादवि में वांछित व रू0 15 हजार का पुरस्कार घोषित अपराधी इन्द्रजीत यादव उर्फ राजू जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र गोसाईगंज में देखा जा रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री करूणेश पाण्डेय के नेतृत्व में मु0आ0 प्रताप नारायण सिंह व विनोद सिंह की एक टीम गठित कर जनपद अयोध्या रवाना की गयी। एसटीएफ टीम को अयोध्या पहॅुचे पर ज्ञात हुआ कि इन्द्रजीत उर्फ राजू महबूबगंज चौराहे के पास स्थित बैंक पर आने वाला है, ज्ञात सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा महबूबगंज चौराहे से वांछित अभियुक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरी एक ट्रक थी, जिसमें वर्ष—2019 में जनपद खीरी के चीनी मिल से चीनी लादकर अध्योया गोदाम पर भेजा गया, मेरे कहने पर उस ट्रक का ड्राइवर चीनी को अयोध्या गोदाम पर न ले जाकर चोरी से अन्य जगह बेच दिया, जिसे खीरी पुलिस ने बाद में बरामद कर लिया, इसी मुकदमें में मैं वांछित था और फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना पसगवॉ, खीरी के मु0अ0सं0 06/2019 धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 472 एवं 34 भादवि में दाखिल किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>एस0टी0एफ0—मुम्बई व गुजरात के कुख्यात लुटेरे एवं जनपद आजमगढ़ (उ0प्र0) से रू0 50,000/— के इनामी को एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने ठाणे, महाराष्ट्र से किया गिरफ्तार।</u>

दिनॉक 05—06—2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद आजमगढ़ का शातिर लुटेरा व थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 198/2019 धारा 395, 412, 325 भादवि व मु0अ0सं0 92/2020 धारा 174ए भादवि में वांछित रू0 50,000/— के इनामी उमर उर्फ उमर अहमद को ठाणे, महाराष्ट्र से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः</u>–

1— उमर उर्फ उमर अहमद पुत्र अतीकुर्रहमान उर्फ अब्दुल रहमान शेख, निवासी फरिहा, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

<u>कुल बरामदगी</u> :–

1— 01 अदद मोबाईल फोन।

2— रू0 500/— नगद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान व समयः–</u>

रेलवे स्टेशन पश्चिमी रिक्सा स्टैण्ड, थाना क्षेत्र ठाणे नगर, ठाणे, महाराष्ट्र दिनांक 05—06—2021 समय 20:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को पुरस्कार घोषित एवं शातिर लुटेरो के गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के मु0अ0सं0 198/2019 धारा 395, 412, 325 भादवि एवं मु0अ0सं0 92/2020 धारा 174ए भादवि में वांछित एवं रू0 50,000/— के इनामी उमर उर्फ उमर अहमद उपरोक्त मुम्बई में रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार के नेतृत्व

में मु0आ0 जावेद आलम, चन्द्र प्रकाश मिश्र, कवीन्द्र साहनी, मृत्युन्जय सिंह आदि की एक टीम गठित कर मुम्बई महाराष्ट्र के लिए रवाना की गयी। एसटीएफ टीम मुम्बई पहुॅचकर थाना ठाणे नगर, अपराध शाखा यूनिट–01 ठाणे महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से वांछित अभियुक्त उमर उर्फ उमर अहमद उपरोक्त को रेलवे स्टेशन पश्चिमी रिक्सा स्टैण्ड, थाना क्षेत्र ठाणे नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह काफी समय से महाराष्ट्र में रहता था। वर्ष–2019 में अपने पैतृक गांव फरिहा, जनपद आजमगढ़ आया था। इसी दौरान इसकी मुलाकात असवद से हो गयी, इसे जानकारी थी कि एक व्यक्ति हवाला का काफी पैसा लेकर सरायमीर से कस्बा फूलपुर, थाना क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ आने वाला है, जिस इसने असवद के साथ मिलकर वह पैसा लूटने की योजना बनायी तथा असवद व अन्य साथियों के साथ मिलकर कस्बा फूलपुर में अपने चार पहिया वाहन में बैठकर उस व्यक्ति का इन्तजार करने लगे, जैसे ही वह व्यक्ति मोटर साइकिल से आया तो यह लोग उसे टक्कर मारकर गिरा दिये और पैसे से भरा बैग छीनकर भाग गये। उस पैसे मे से कुद पैसा अपने साथियों को देकर बाकी पैसा लेकर वापस मुम्बई भाग गया था। इस घटना में शामिल इसके साथी असवद को एसटीएफ उ0प्र0 टीम द्वारा पूर्व में ही मुम्बई से गिरफ्तार किया जा चुका है। मुम्बई में वाटर प्लान्ट में काम करता था तथा उसी के आड़ में मुम्बई व गुजरात में लूट–पाट भी करता है, दो माह पूर्व ही गुजरात के लूट के एक मुकदमें में जमानत पर रिहा होकर मुम्बई आया है। उल्लेखनीय है कि इसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश, मुम्बई (महाराष्ट्र) गुजरात एवं अन्य राज्यों में कई घटनाएं कारित की गयी है जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त को एसटीएफ टीम द्वारा ट्रांजिट रिमाण्ड पर पर मुम्बई से आजमगढ़ लाया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही आजमगढ़ पुलिस द्वारा सक्षम न्यायालय के माध्यम से की जायेगी।

————————